ओ0पी0 सिंह,
भा0पु0से0(IPS)

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1 तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

डीजी परिपत्र संख्या- 21 /2018(हर्ष फायरिंग)

दिनांकः मई 11 , 2018

विषय–हर्ष फायरिंग, इसमें होने वाली दुर्घटनाओं तथा शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोकथाम के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

विवाह समारोहों, धार्मिक उत्सवों एवं जुलूसों आदि अवसरों पर अतिउत्साह व हर्ष में की जाने वाली फायरिंग में होने वाली दुर्घटनाओं एवं जीवन हानि से आप सभी लोग भली–भॉति अवगत हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु इस मुख्यालय एवं शासन स्तर से पार्श्वांकित निर्देश निर्गत किये जा चुके है, परन्तु इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस प्रकृति की घटनाओं की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयास अपर्याप्त हैं तथा शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों एवं मा0 न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं कराया जा रहा है।

परिपत्र संख्याःडीजी–20/2004 दिनांकः सितम्बर 05, 2004,
परिपत्र संख्याःडीजी–18/2006 दिनांकः जून 08, 2006
परिपत्र संख्याःडीजी–26/08 दिनांकः मार्च 03, 2008
(टास्क आर्डर संख्या–17/2008)
डीजी परिपत्रः 59/2015 दिनांकः अगस्त 07, 2015
अ0शा0परिपत्र संख्याःडीजी–आठ–2046(11)/2012 दिनांकःअप्रैल 23, 2012
शासनादेश संख्याः 3017–आर–छः–पु0–5–99 दिनांकः 15 मई, 1999
शासनादेश संख्या : 1052–आर–छः–पु0–5–01(15)/2001 दिनांक 18.02.2010
डीजीपी अ0शा0 परिपत्र सं0:15/2016(हर्ष फायरिंग)दिनांक मार्च 06, 2016

2– अतः इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु पुनः निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैंः–

(i)-इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उपलब्ध विधिक व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

(ii)-केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुध नियमावली 2016 प्रख्यापित की गयी है, जिसके नियम 32 में आग्नेयास्त्र के सार्वजनिक प्रदर्शन के सम्बन्ध में निम्न प्रतिबन्ध लगाये गये हैंः–

(3) किसी सार्वजनिक स्थान या किसी अग्न्यायुध मुक्त जोन में अग्न्यायुध को लहराना या उसे दागना या उससे हवा गोली चलाना पूर्णतया प्रतिषिद्व है।

(4) इस नियम का कोई उल्लंघन, अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए दायी होगा और साथ ही अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति के उदग्रहण के साथ अग्न्यायुध का भी अभिग्रहण कर लिया जायेगा।

(iii)-आयुध अनुज्ञप्ति की शर्तो, आयुध नियमावली अथवा आयुध अधिनियम के किसी प्राविधान के उल्लंघन हेतु आयुध अधिनियम 1959 की धारा 30 के अर्न्तगत निम्न दण्ड की व्यवस्था की गयी है:–

धारा–30 अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड–जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तद्धीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड उपबंधित नहीं है, वह कारावास से,(जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा), या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(iv)–अतः जहॉ भी अस्त्र–शस्त्र के गलत प्रयोग की सूचना मिले, जो आयुध नियम 2016 के नियम 32 का उल्लंघन की श्रेणी में आता हो, उस परिस्थिति में धारा 30 आयुध अधिनियम 1959 का मुकदमा पंजीकृत कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने एवं शस्त्र जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

(v)–शादी–विवाह में बन्दूकों से हवाई फायरिंग एवं शौकिया फायरिंग की संभावना के सम्बन्ध में पूर्व जानकारी होने पर वहां समुचित पुलिस प्रबन्ध कर व्यवस्था की जाये।

(vi)–इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट से विचार–विमर्श कर धाराः 144 दं.प्र.सं.(सी. आर.पी.सी.)के अन्तर्गत शस्त्रों के दुरूपयोग को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(vii)–शादी–विवाह के मौकों पर शस्त्रों के गलत प्रयोग/प्रदर्शन /हवाई फायरिंग आदि को रोकने के लिए जन–प्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये।

(viii)–हर्ष फायरिंग में मृत्यु अथवा चोट कारित होने के प्रकरणों में बिना तहरीर की प्रतीक्षा किये F.I.R. (प्रथम सूचना रिपोर्ट) पंजीकृत की जाये।

(ix)– हर्ष फायरिंग सम्बन्धी घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो धारा–304 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया जाये।

(x)– शस्त्र लाइसेंस व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है। जनता में भय उत्पन्न करने अथवा शान्ति भंग करने हेतु शस्त्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही शस्त्र लाइसेंसी को एम्यूनेशन/कारतूस के दुरूपयोग की इजाजत दी जा सकती है।

(xi)–आयुध अधिनियम अथवा आयुध नियमों के उल्लंघन की सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत जनता को भी दायित्वाधीन किया गया है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की घटना की सूचना थाने पर नहीं दी जाती है तो उसके विरूद्व भी विधिक कार्यवाही की जाय।

(xii)–प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष क्षेत्र में आने वाले सभी विवाह स्थल, होटल, अतिथिगृह के मालिकों के साथ समय–समय पर बैठक कर उन्हें हर्ष फायरिंग के सम्बन्ध में शासनादेशों/परिपत्रों एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की जानकारी दें।

(xiii)–यदि विवाह स्थल, विवाह घर, होटल, अतिथिगृह द्वारा शासनादेशों/परिपत्रों एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि प्रतिमाह अपराध गोष्ठी में उपरोक्त निर्देशों के संबंध में चर्चा करायेंगे एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेंगे।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी
उत्तर प्रदेश। **(नाम से)**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, एस0आई0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
9. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी।
10. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ के उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं समस्त अनुभाग अधिकारियों को।